2025: सीजीएचसी:43504–डीबी

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

दाण्डिक अपील सं 1257/2019

निर्णय सुरक्षित किया गया : 30.06.2025

निर्णय पारित किया गयाः28.08.2025

लक्ष्मी उर्फ लक्ष्मी बाई, 30 वर्ष, निवासी गाँव–चोधा, पुलिस थाना–खरसिया, जिला रायगढ़ (सी. जी.)

–––अपीलकर्ता

बनाम

- छत्तीसगढ़ राज्य थाना प्रभारी के द्वारा, पुलिस स्टेशन–खरसिया, जिला रायगढ़ (सी. जी.)

–––उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तथा

दाण्डिक अपील सं 1324/2019

- संदीप राथिया, पिता गिरधारी राथिया, 25 वर्ष, निवासी गाँव चोरहा, पुलिस थाना खरसिया, जिला रायगढ़ (सी. जी.)।

–––अपीलकर्ता

बनाम

- छत्तीसगढ़ राज्य थाना प्रभारी के द्वारा, पुलिस थाना–खरसिया, जिला रायगढ़ (सी. जी.)

–––उत्तरवादी

अपीलकर्तागण हेतु :श्री प्रह्लाद पांडा, सी. आर. ए. सं.1257/2019 में अधिवक्ता तथा सुश्री मंजू नायक सी. आर. ए. सं.1324/2019 में।

उत्तरवादी हेतु :श्री अजय पांडे, शासकिय अधिवक्ता।

माननीय श्रीमती रजनी दुबे , न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद,न्यायाधीश

(सी ए वी निर्णय)

रजनी दुबे, न्यायाधीश के अनुसार,

1. चूंकि उपरोक्त अपीलें रायगढ़ (सी.जी.) के 5 वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सत्र विचारण संख्या 113/2018 में दिनांक 31.07.2019 को पारित दोषसिद्धि और दंड के आदेश के विरुद्ध दायर की गई हैं, इसलिए इन सभी की एक साथ सुनवाई की जा रही है और इस सामान्य निर्णय द्वारा इनका निराकरण किया जा रहा है।

2. उक्त निर्णय द्वारा अपीलकर्ताओं को निम्नलिखित रूप से दोषी ठहराया गया है और दंड पारित किया गया है :

दोषसिद्धि	दंड
आई. पी. सी. की धारा 302/34 के तहत	आजीवन कारावास और 1,000 रुपये का जुर्माना, जुर्माना न भरने की स्थिति में 1 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
	आई. पी. सी. की धारा 201 के तहत 07 वर्ष कठोर कारावास तथा प्रत्येक को 1,000/- रुपये का जुर्माना देने हेतु, जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर 1 वर्ष हेतु अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। (दोनों दंड को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया था)।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त विवरण यह है कि 17.07.2018 को मुखबिर नंदू राठिया ने खारसिया पुलिस थाना मे परिवाद दर्ज कराई कि दोपहर लगभग 2 बजे उन्हें कुडेकेला गांव के बी.डी.सी. संजय गुप्ता का फोन आया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी बहन जगनमती और भतीजे जीतू की हत्या कर दी गई है। इसके बाद वे अपनी मां रामबाई के साथ छोढा गांव गए और वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी बहन जगनमती का शव खून से लथपथ जमीन पर पड़ा देखा, और उनका लगभग 5 वर्षीय भतीजा जीतू भी बिस्तर पर मृत पड़ा था।उनकी बहन जगनमती के सिर से खून बह रहा था और उनके भतीजे जीतू की गर्दन पर नीले रंग का दबाव का निशान था।अभियोजन पक्ष का आगे का मामला यह है कि जब उसने बीर सिंह राठिया से पूछताछ की, तो उसने बताया कि वह अपने पिता की खराब तबीयत के कारण खर्सिया गया था और पूरी रात अस्पताल में रहा। जब वह सुबह लगभग 10:00 बजे घर लौटा, तो उसने देखा कि उसके घर का दरवाजा बाहर से बंद था। ताला खोलने पर उसने अपनी पत्नी जगनमती और पुत्र जीत को मृत पाया और फिर उसने अन्य ग्रामीणों को सूचना दी।इसके बाद, पुलिस ने मृतक जगनमती के पति और मृतक जीतू के पिता बीर सिंह का बयान दर्ज किया,

जिसमें उसने अपीलकर्ताओं को अपराध का मुख्य दोषी होने का संदेह जताया था।एक्स पी/–4 के माध्यम से समन जारी करने के बाद, मृतक जगनमती और जीत के शवों का परीक्षण एक्स पी/–5 और प्रदर्शनी पी–6 के माध्यम से तैयार किया गया और मृतकों के शवों को क्रमशः एक्स पी/–27 और पी–25 के माध्यम से खार्सिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम परीक्षा के लिए भेजा गया, जहां डॉ. सौरभ अग्रवाल (साक्षी –7) ने मृतक जीतू के शव का पोस्टमार्टम किया और प्रदर्शनी पी–26 के तहत अपनी रिपोर्ट दी जिसमें निम्नलिखित चोटों का उल्लेख किया गया:–––

(मृतक जीतू के संबंध में)

(i) छाती के ऊपर 50 x 4 सेमी के आकार में एल-आकार का संदूषण।

((ii) गर्दन के समस्त ओर 23 x 4 से. मी. के आकार का लिगचर निशान।

(iii) 5 x 2 सेमी के आकार में ठोड़ी पर संदूषण।(iv) बाईं ओर की गर्दन पर 3 x 1 सेमी के आकार में अर्ध चंद्र घर्षण (उंगली के नाखून के कारण हो सकता है)।

(v) बाएं हाथ तथा कोहनी पर 15 x 3 सेमी के आकार में संदूषण।

(vi) साइनोज्ड पेट के पैर तथा त्वचा दोनों पर फैला हुआ संदूषण।शव परीक्षण सर्जन ने कहा कि मृतक की मृत्यु का कारण दम घुटना था तथा मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की थी।डॉ. सौरभ अग्रवाल (पीडब्लू–07) ने मृतक जगनमती के शरीर का शव परिक्षण किया तथा निम्नलिखित चोटों को ध्यान में रखते हुए एक्स पी/–28 के तहत अपनी रिपोर्ट दीः–––

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(मृतक जगनमती के संबंध में)

(i) बाईं खुरली पर 4 x 3 सेमी का संदूषण।

((ii) दाहिने क्यूबिटल फोसा के ऊपर 5 x 4 सेमी का संदूषण।

(iii) दाहिनी अग्रवर्ती कोहनी पर 3 x 2 का संदूषण।(iv) दाहिनी कोहनी के पीछे के हिस्से पर 6 x 2 सेमी का संदूषण (अर्ध गोलाकार) (काटने का निशान हो सकता है)।

(v) बाईं भुजा पर 5 x 5 सेमी की सूजन।

(vi) माथे के केंद्र पर 4 x 1 सेमी तथा नाक के बाएं अग्रभाग पर 1 x 1 सेमी का अर्धवृत्ताकार संदूषण।

(vii) मुँह के बाएँ कोण पर 2 x 2 सेमी का संदूषण।

(viii) 1 x 1 सेमी के आकार में निचले होंठ काटने।

(ix) 1 x 1 से. मी. के आकार में खोपड़ी फ्रैक्चर के साथ दाहिने अस्थायी-पार्श्विका पर 2 x 2 से. मी. के आकार के घाव दिखाई देते हैं।

(x) तारों के आकार का कटा हुआ बाएं पैरिटो टेम्पोरल ओसीपीटल क्षेत्र पर 8 x 4 x 2 सेमी के आकार में दिखाई देगा।

(xi) बाएं पश्चवर्ती पार्श्विक क्षेत्र पर 7 x 3 x 2 सेमी के आकार में दिखने वाला घाव।मृतक के शव तथा मृतक जीतू के संबंध में एक्स पी/ 26 तथा मृतक जगनमती के संबंध में एक्स पी/ -27 के तहत अपनी रिपोर्ट दी।

(xii) दाहिने सामने से अस्थायी क्षेत्र में 5 x 3 सेमी के आकार में दिखने वाला घाव।पोस्टमार्टम सर्जन ने मृतक की मृत्यु का कारण गला घोंटना और हाइपोवोलेमिक शॉक और श्वासावरोध के कारण सिर में लगी चोटें बताया और कहा कि यह हत्या थी।

4. पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा (एक्स पी/ –8) तैयार किया। अपीलकर्ता संदीप राथिया (सीआरए संख्या 1324/2019) और लक्ष्मी बाई (सीआरए संख्या 1257/2019) के ज्ञापन बयान क्रमशः (एक्स पी/ 12 और एक्स पी/ –13) के तहत दर्ज किए गए, जिसके आधार पर अपराध में इस्तेमाल की गई एक कुल्हाड़ी और अपीलकर्ताओं के खून से सने कपड़े (एक्स पी/ –14 और एक्स पी/ –15) जब्त किए गए। अपीलकर्ता संदीप राथिया और लक्ष्मी राथिया को क्रमशः (एक्स पी/–16 और एक्स पी/ –17) के तहत गिरफ्तारी ज्ञापन के माध्यम से गिरफ्तार किया गया।अपीलकर्ता लक्ष्मी रथिया की सूचना पर जब्त की गई अपराध में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी की डॉक्टर द्वारा जांच की गई (एक्स पी/ 29)। जांच रिपोर्ट (एक्स पी/ 30) के अनुसार, मृतक जगनमती को लगी चोटें इसी प्रकार के हथियार से हो सकती थीं। मृतक जगनमती का एक गर्भाशय, योनि स्लाइड, योनि स्वाब और बाल जब्त किए गए (एक्स पी/ 31)। जब्त किए गए सामान को रासायनिक परीक्षण के लिए बिलासपुर स्थित एफएसएल भेजा गया। एफएसएल से जब्त किए गए सामान के संबंध में एक रिपोर्ट (एक्स पी/ 39) प्राप्त की गई, जिसके अनुसार मृतक जगनमती की योनि स्लाइड में मानव शुक्राणु पाए गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. सामान्य अन्वेषण पूरी करने पश्चात् अभियुक्त–अपीलकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 201 और 34 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया, जिस पर अभियुक्त–अपीलकर्ताओं ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया और विचारण की मांग की।

6. आरोप पत्र दाखिल होने के बाद, विचारण न्यायालय ने आईपीसी की धारा 302/34 और 201 के तहत अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप निर्धारित किया गया।

7. अभियुक्त–अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष ने 8 साक्षीयों कि परीक्षा की है। सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अभियुक्त–अपीलकर्ताओं के बयान भी दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले में उनके खिलाफ सामने आए तथ्यों से इनकार किया, अपनी बेगुनाही का दावा किया और झूठे फंसाए जाने की बात कही।अपीलकर्ताओं ने अपने बचाव में किसी भी साक्षी से परीक्षा नहीं की।

8. विचारण न्यायालय ने संबंधित पक्षों के अधिवक्ताओं की सुनवाई करने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद, इस निर्णय के कंडिका 2 में उल्लिखित अनुसार आरोपी–अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया तथा दंड पारित किया गया हैअतः, यह अपील प्रस्तुत किया गया है।

9. सीआरए संख्या 1257 में अपीलकर्ता लक्ष्मी के अधिवक्ता का कहना है कि वह निर्दोष हैं और उन्हें इस अपराध में झूठा फंसाया गया है।आक्षेपित निर्णय अनुमानों और अटकलों से भरा है।दोषसिद्धि का निर्णय और दंड का आदेश अवैध है क्योंकि यह अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों पर आधारित नहीं है।विद्वान अधिवक्ता आगे यह तर्क दिया है कि घर में अपीलकर्ता लक्ष्मी की मात्र उपस्थिति ही उसे दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य से पता चलता है कि पिछली रात मृतक जगनमती के साथ दो अन्य व्यक्ति शराब पी रहे थे।घर को बाहर से बंद बताया जाना अपीलकर्ता की संलिप्तता नहीं दर्शाता है, जिससे पता चलता है कि किसी और ने घर को बाहर से बंद किया था।मृतक के पति ने स्वयं कहा है कि अपीलकर्ता और उसकी भाभी (मृतक) के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण थे और उनके बीच कोई झगड़ा नहीं था।इसलिए, मृतक की हत्या का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का ठीक से मूल्यांकन नहीं किया।विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि विचारण न्यायालय ने इस बात के साक्ष्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि दुर्भाग्यपूर्ण दिन यानी 16.07.2018 को रात लगभग 10-11 बजे प्रेमलाल (गवाह-3) और भूरु घटनास्थल पर मृतक जगनमती से शराब ले रहे थे और अपने पति और ससुर के बारे में भी बता रहे थे तथा घटना के समय अपीलकर्ता की उपस्थिति से स्पष्ट रूप से इनकार कर रहे थे। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य को भी पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि मृतक अपने घर से चौबीसों घंटे शराब बेचती थी।विचारण न्यायालय को यह विचार करना चाहिए था कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दिए गए गैर--न्यायिक स्वीकारोक्ति और ज्ञापन बयान तथा हथियार और अन्य सामग्री की ज़ब्ती विधि के अनुसार सिद्ध नहीं हुई है।अतः, दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय और दंड का आदेश अपास्त किए जाने योग्य है। अपने तर्क के समर्थन में, **विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों का उल्लेख किया:सुजीत बिस्वास बनाम असम राज्य (ए आई आर 2013 एस. सी. 3817), ओडिशा राज्य बनाम बनबिहारी मोहपात्रा एवं अन्य (2021) 15 एस. सी. सी. 265 :2021 एस. सी. सी.ऑनलाइन एस. सी. 121, राजा खान बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2025 आई. एन. एस. सी. 167), और दिनांक 24.01.2024 को सी. आर. ए. संख्या 902/2023 [राजा नायकर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य] में पारित निर्णय।**

10. सीआरए संख्या 1324/2019 में अपीलकर्ता संदीप राथिया के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जहां तक अपीलकर्ता संदीप राथिया का संबंध है, दोषसिद्धि मान्य नहीं है क्योंकि ज्ञापन साक्षी, अर्थात् राधेलाल राथिया (पीडब्ल्यू-2) और दमरुधर राथिया (पीडब्ल्यू-4) दोनों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और मुकर गए, तथा अपीलकर्ता के घर से कथित रूप से बरामद की गई वस्तुएं स्वयं अपीलकर्ता के विरुद्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य नहीं हैं।विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के साक्षीयों के कथन पर गलत विश्वास किया।विद्वत विचारण न्यायालय उन साक्षीयों के बयानों को समझने में विफल रही, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि घटना के समय अपीलकर्ता संदीप राथिया गांव में मौजूद नहीं था। अभियोजन पक्ष के साक्षीयों ने पिछली मुलाकात के आधार पर अपीलकर्ता की पहचान की है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बताया कि मृतक जगनमती के पति और मृतक जीतू के पिता बीर सिंह (पीडब्लू--1) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनका घर बाहर से बंद था और उन्होंने दूसरी चाबी से घर खोला था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया है कि अपीलकर्ता ने हत्या की है और अपराध करने के बाद उसने घर को बाहर से बंद कर दिया था। अपीलकर्ता द्वारा बनाए गए ज्ञापन के अनुसार कोई भी तथ्य सामने नहीं आया है और अभियोजन पक्ष यह साबित करने में भी विफल रहा है कि अपीलकर्ता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चाबी बरामद की गई थी।विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि विचारण न्यायालय ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मृतक जगनमती शराब बेचती थी, जबकि अभियोजन पक्ष के साक्षीयों ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि घटना से एक दिन पहले रात लगभग 10 बजे प्रेमलाल (पीडब्लू--3) और गुरुबीर सिंह मृतक जगनमती के घर शराब पीने गए थे और वहां लगभग आधे घंटे तक रुके थे। अभियोजन पक्ष के साक्षीयों ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि प्रतिदिन कई लोग मृतक जगनमती के घर शराब पीने आते थे और शराब के भुगतान को लेकर विवाद होता था।विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अन्वेषण अधिकारी (पीडब्लू-8) ने भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत गवाहों द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, वर्तमान अपीलकर्ता के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया था और एफआईआर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज की गई थी। माननीय विचारण न्यायालय को डॉ. सौरभ अग्रवाल (पीडब्लू-7) के बयान पर विचार करना चाहिए था, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने मृतक के शरीर पर मौजूद चोट के समय का उल्लेख नहीं किया है। माननीय विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को केवल अनुमान और संदेह के आधार पर दोषी ठहराया है। अभिलेख पर ऐसा कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं जो अपीलकर्ता के अपराध को साबित कर सकें। अतः, दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय और दंड का आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।अपनें तर्क के समर्थन में, **विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा जताया: सुजीत बिस्वास बनाम असम राज्य (ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 3817 में रिपोर्ट किया गया, ओडिशा राज्य बनाम बनबिहारी महापात्रा तथा अन्र। (2021) 15 एस. सी. सी. 265 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 121, राजा खान निर्णय छत्तीसगढ़ राज्य ने 2025 आई. एन. एस. सी. 167 में रिपोर्ट किया, तथा सी. आर. ए. नं. 902/2023 [राजा नायक निर्णय छत्तीसगढ़ राज्य]।] में पारित निर्णय।**

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. दूसरी ओर, दोनों अपीलकर्ताओं के तर्कों का खंडन करते हुए विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मृतक जगनमती और उनके नाबालिग बेटे जीतू घर में मृत पाए गए थे और जिस तरह से उन पर हमला किया गया था, उससे हत्या सिद्ध होती है।अपीलकर्ता संदीप राथिया के घर से कुल्हाड़ी बरामद की गई है, और लक्ष्मी बाई पूरे समय घर में मौजूद थीं, लेकिन वे घटना के बारे में स्पष्टीकरण देने में विफल रहे। साक्षीयों के निर्विवाद बयान हैं कि ताले की चाबी मृतक जगनमती और उनके पति बीर सिंह (पीडब्लू 1) के पास रहती थी।जब उनके पति बीर सिंह (पीडब्लू 1) अगली सुबह लगभग 11 बजे घर आए, तो घर बाहर से बंद पाया गया, जिसे बीर सिंह ने खोला और घर के अंदर उनकी पत्नी और बेटे के शव मिले।अतः, अभियोजन पक्ष ने दोनों अपीलकर्ताओं के विरुद्ध अपने मामले को संदेह से परे सफलतापूर्वक सिद्ध कर दिया है और विद्वान विचारण

न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का सूक्ष्मतापूर्वक मूल्यांकन करते हुए अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया है। आक्षेपित निर्णय उचित है और इस न्यायालय द्वारा इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

12. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेखों पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

13. विचारण न्यायालय के अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने दोनों अपीलकर्ताओं के विरुद्ध आईपीसी की धारा 302 के साथ धारा 34 और 201 के तहत आरोप निर्धारित किया गया और मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के मूल्यांकन के बाद अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 302 के साथ धारा 34 और धारा 201 के तहत दोषी ठहराया गया।

14. हमें सबसे पहले यह विचार करना होगा कि मृतक जगनमती और जीतू की मृत्यु हत्या थी या नहीं।

15. बीर सिंह (पीडब्लू--1) ने बताया है कि अपीलकर्ता संदीप राथिया और लक्ष्मी बाई क्रमशः उनके भाई और भाभी हैं, और मृतक जगनमती और जीतू क्रमशः उनकी पत्नी और पुत्र हैं। वे सभी एक ही घर में रहते हैं।उनका साझा आंगन है और निकास मार्ग भी एक ही है।घटना वाले दिन, वह और उसका भाई धन सिंह अपने बीमार पिता को खारसिया ले गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था। उसने यह भी बताया कि वह और उसका भाई पूरी रात वहीं रुके रहे और सुबह लगभग 10-11 बजे घर लौटे। घर बाहर से बंद था।एक चाबी उसके पास थी और दूसरी उसकी पत्नी जगनमैती के पास। जब उसने अपनी चाबी से ताला खोला, तो उसने देखा कि उसकी पत्नी जगनमैती खून से लथपथ पड़ी थी और उसका 5 वर्षीय बेटा जीतू बिस्तर पर मृत पड़ा था।उसने यह भी बताया कि उसके सिर से खून बह रहा था। मौके पर उसका भाई, पिता, ग्रामीण और गांव का सरपंच भी मौजूद थे।उन्होंने उनकी पत्नी जगनमती का शव भी देखा था और गांव के सरपंच ने फोन पर पुलिस को सूचना दी।उसने यह भी कहा है कि पुलिस उसे अपने साथ ले गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. नंदू (पीडब्लू-5) मृतक जगनमती का भाई है।उन्होंने कहा है कि उन्हें बी. डी. सी. संजय गुप्ता ने घटना के बारे में सूचित किया था।संजय गुप्ता ने उसे बताया था कि उसकी बहन जगनमती की हत्या कर दी गई है, उसके बाद वह अपनी मां के साथ मोटरसाइकिल पर अपनी बहन के ससुराल गांव चोधा गया था।उन्होंने यह भी कहा है कि जब उन्होंने कमरे में प्रवेश किया, तो उन्होंने देखा कि उनका भतीजा बिस्तर पर मृत पड़ा था, जिसे उसकी गर्दन दबाने के पश्चात् मार दिया गया था तथा उसकी बहन जगनमती अपने कमरे में मृत पड़ी थी तथा उसके सिर से खून बह रहा था।उन्होंने यह भी कहा है कि घटना दिनांक को ही, वह पुलिस थाना खरसिया गए तथा प्राथमिकी (एक्स पी/ -24) दर्ज की तथा विलय सूचना (एक्स पी/ -37, एक्स पी/ -38) तथा प्राथमिकी (एक्स पी/ -24) पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए।

17. ए. के. सिंह (पीडब्लू-8) इंस्पेक्टर, एस. एच. ओ.-खरसिया तथा मामले के अन्वेषण अधिकारी हैं।उन्होंने कहा है कि नंदू (पीडब्लू-5) की सूचना पर, विलय सूचना Nos.71/18 तथा 72/2018 (Ex.P-37 तथा पी-38) सब इंस्पेक्टर एस. के. दुबे द्वारा दर्ज की गई थी तथा उन्होंने Ex.P-37 तथा पी-38 में 'ए से ए' भाग

पर एस. के. दुबे के हस्ताक्षर की पहचान की तथा 'बी से बी' भाग पर नंदू (पीडब्लू-5) के हस्ताक्षर की पहचान की।उन्होंने यह भी बताया कि उसी दिन, सब इंस्पेक्टर एस.के. दुबे ने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध आईपीसी की धारा 302 के तहत एफआईआर संख्या 409/18 दर्ज की और एफआईआर के 'ए से ए' भाग पर एस.के. दुबे के हस्ताक्षर की पहचान की। उन्होंने यह भी बताया कि 14.07.2018 को केस डायरी प्राप्त होने पर, वे कुडेकेला गांव गए और मृतक के शवों की जांच के लिए पंच गवाहों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 175 के तहत नोटिस जारी किया (प्रदर्शनी पी-3 और पी-4)। पंच गवाहों के समक्ष उन्होंने जांच ज्ञापन (प्रदर्शनी पी-5 और पी-6) तैयार किया और पोस्टमार्टम परीक्षा के लिए आवेदन (प्रदर्शनी पी-25 और पी-26) दिया तथा क्रमशः 'ए से ए' और 'बी से बी' भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए।

18. डॉ. सौरभ अग्रवाल (पीडब्ल्यू-7) ने मृतक जीतू और जगनमती के शवों का पोस्टमार्टम किया और क्रमशः प्रदर्शनी पी-26 और पी-28 के माध्यम से अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें मृतक जगनमती की मृत्यु का कारण हाइपोवोलेमिक शॉक और श्वासावरोध के कारण गला घोंटना और सिर में चोट लगना बताया गया और मृत्यु हत्या की प्रकृति की थी।शव परीक्षण सर्जन ने यह भी कहा कि मृतक जीतू की मृत्यु का कारण दम घुटना था तथा मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की थी।उसने अपनी पूछताछ रिपोर्ट (प्रदर्शनी पी-30) में स्वीकार किया है कि मृतक जगनमती के शव का पोस्टमार्टम करते समय, उसे उसके शरीर पर कटे हुए निशान मिले और ये चोटें जब्त किए गए हथियार कुल्हाड़ी से लगी हो सकती हैं और उस हथियार से लगी चोटों के कारण मृतक की मृत्यु हो सकती है।प्रतिपरीक्षा के दौरान, डॉक्टर ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि मृतक जगनमती के शरीर पर पाए गए घाव गंभीर प्रकृति के थे और उन्होंने अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन घावों के समय और अवधि का उल्लेख नहीं किया था।उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि दुर्घटना के मामलों में ऐसे घाव हो सकते थे और उन्होंने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन्होंने यह उल्लेख नहीं किया कि दोनों मृतकों की गर्दन पर मौजूद निशान किस वस्तु से आए थे और न ही इस संबंध में कोई पूछताछ की गई थी, लेकिन डॉ. सौरभ अग्रवाल (पीडब्लू-7) के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट (एक्स पी/ -26 और एक्स पी/ -28) और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (एक्स पी/ -30) से यह स्पष्ट है कि मृतक जगनमती और जीतू की मृत्यु हत्यात्मक थी और मृत्यु चोटों और गला घोंटने के कारण हुई थी।अतः, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट सहित अभियोजन पक्ष के साक्षीयों के उपरोक्त विश्लेषण से, अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि दोनों मृतकों की मृत्यु हत्यात्मक थी।

19. अगला प्रश्न जो इस न्यायालय के विचारणीय है, वह यह है कि क्या अपीलकर्ताओं ने ही मृतक जगनमती और जीतू की हत्या की है?

20. एफआईआर (एक्स पी/ -24) से स्पष्ट है कि यह अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज की गई थी।मृतक जगनमती के पति और मृतक जीतू के पिता बीर सिंह (पीडब्लू-1) ने बताया कि जब वे सुबह लगभग 10-11 बजे अस्पताल से लौटे, तो उन्होंने पाया कि उनके घर का दरवाजा बाहर से बंद था। ताले की एक चाबी मृतक के पास रहती थी और दूसरी उनके पास। उन्होंने अपनी चाबी से दरवाजा खोला और पाया कि उनकी पत्नी जगनमती खून से लथपथ फर्श पर पड़ी थीं

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

और उनका 5 वर्षीय बेटा जीतू बिस्तर पर मृत पड़ा था।इस साक्षी ने पहचान पंचनामा (एक्स पी/ --1) पर केवल अपने हस्ताक्षर की पहचान की है।..अभियोजन पक्ष ने इस साक्षी को विरोधी घोषित कर उससे प्रति परीक्षा की, लेकिन उसने अभियोजन पक्ष के इस सुझाव को नकार दिया कि मृतक जगनमती और अपीलकर्ता लक्ष्मी के बीच कोई झगड़ा हुआ था।उसने इस सुझाव को भी नकार दिया कि अपीलकर्ता लक्ष्मी ने उससे कहा था कि उसने गोबर के पानी से खून के धब्बे साफ किए थे और उसे घटना की कोई जानकारी नहीं थी। उसने इस सुझाव को भी नकार दिया कि उसे संदेह था कि अपीलकर्ता लक्ष्मी ने किसी अन्य के साथ मिलकर उसकी पत्नी और बेटे की हत्या की थी। इस साक्षी ने अपने पुलिस बयान (एक्स पी/-2) के ''ए से ए' तथा 'बी से बी'' के रूप में चिह्नित अपने बयान को नकार दिया है।उसने प्रतिपरीक्षा के कंडिका 12 में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि घर में कई सदस्य रहते थे।उसके भाई धन सिंह का कमरा और उसका कमरा काफी दूर थे। उसने यह भी स्वीकार किया कि एक कमरे से दूसरे कमरे में आवाज नहीं सुनाई देती थी।इसके अलावा, अपनी प्रतिपरीक्षा के कंडिका 13 में उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी दिवंगत पत्नी जगनमती घर पर महुआ शराब बनाती और बेचती थीं और कई ग्रामीण शराब खरीदने आते थे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उनकी दिवंगत पत्नी जगनमती और अपीलकर्ता लक्ष्मी का मायका एक ही है और वे दोनों चचेरी बहनें हैं।इस साक्षी ने कंडिका 16 में यह भी स्वीकार किया कि प्रेमलाल (पीडब्ल्यू-3) और भूरू उनके साथ अस्पताल गए थे और रात लगभग 10 बजे वे (प्रेमलाल और भूरू) गांव वापस आ गए थे। उन्होंने यह भी बताया कि वे (प्रेमलाल और भूरू) शराब पीने के लिए उनके घर गए थे।उसने यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस उस पर संदेह कर रही थी तथा उसे अपने साथ पुलिस थाना ले गई थी।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

21. प्रेमलाल (पीडब्लू-3) ने बताया है कि घटना से एक दिन पहले, गवाह-1 के पिता समारु राथिया की तबीयत खराब होने के कारण, वे उन्हें अस्पताल ले गए और भर्ती कराया। इसके बाद, वह भूरु के साथ रात लगभग 10 बजे वापस आ गए। उन्होंने यह भी बताया कि इसके बाद वे मृतक जगनमती के घर गए, शराब खरीदी और वहीं पी।घर में मृतक जगनमती और जीतू पलंग पर सो रहे थे। शराब पीने के बाद वे वापस घर आ गए और अगली सुबह उन्हें पता चला कि जगनमती और जीतू की हत्या कर दी गई है।अभियोजन पक्ष ने इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर उससे प्रतिपरीक्षा की, जिसके बाद उसने स्वीकार किया कि अपीलकर्ता लक्ष्मी बाई और मृतक जगनमती अवैध रूप से महुआ शराब बेचती थीं। हालांकि, उसने इस बात से इनकार किया कि घटना से एक दिन पहले उसने और भूरू ने अपीलकर्ता लक्ष्मी बाई से शराब खरीदी और पीकर उसके ससुर की तबीयत के बारे में बताकर वहां से चले गए थे।उसने इस बात से भी इनकार किया कि अपीलकर्ता लक्ष्मी बाई ने उसे बताया था कि शेड की दीवार पर खून के धब्बे थे, जिन्हें उसने गोबर के पानी से पोत दिया था। इस साक्षी ने अपने पुलिस बयान (एक्स पी/ 21) के ''ए से ए' तथा 'बी से बी'' वाले हिस्से से इनकार किया है।उसने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि अपीलकर्ता जगनमती का शराब पीने और परोसने के पैसों को लेकर कई ग्रामीणों से विवाद था।उसने स्वीकार किया है कि जब वह और भूरू मृतक जगनमती के घर गए, तो वहां कोई पुरुष सदस्य मौजूद नहीं था और उन्होंने शराब पीने में आधा घंटा लगाया।

इस साक्षी ने इस बात से इनकार किया है कि उसने और भूरू ने मृतक के घर शराब पीने के बाद यह घटना को अंजाम दिया था।

22. मृतक के भाई नंदू (पीडब्लू-5) ने बताया है कि बी.डी.सी. संजय गुप्ता से सूचना मिलने के बाद वह अपनी मां के साथ मोटरसाइकिल से गांव चोधा में अपनी साली के घर गया था।जब वह कमरे में घुसा तो उसने देखा कि उसकी मृत बहन जगनमती तथा भतीजा जीतू मृत पड़े थे।उसी दिन वह खारसिया पुलिस स्टेशन गया और शिकायत दर्ज कराई (एक्स पी/ -24)।इस साक्षी ने कंडिका 6 में स्वीकार किया है कि अपीलकर्ता लक्ष्मी बाई का मृतक जगनमती से अक्सर झगड़ा होता था और उसे संदेह है कि उसकी चाची अपीलकर्ता लक्ष्मी बाई ने मृतक जगनमती की हत्या की होगी।अपनी प्रतिपरीक्षा के कंडिका 10 में उसने स्वीकार किया है कि कई ग्रामीण उसकी बहन के घर शराब पीने आते थे।

23. मृतक जगनमती की माता रामबाई (पीडब्लू-6) ने भी नंदू (पीडब्लू-5) द्वारा दिए गए बयान के समान ही बयान दिया है।.

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

24. राधेलाल राथिया (पीडब्लू-2) ने बताया कि पुलिस ने अपीलकर्ता संदीप राथिया और लक्ष्मी बाई के ज्ञापन बयान (एक्स पी/ -12 और एक्स पी/ -13) दर्ज किए थे और उन्होंने 'ए से ए' और 'बी से बी' भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए।अपीलकर्ताओं के ज्ञापन बयान के अनुसार, पुलिस ने जब्ती ज्ञापन (एक्स पी/ -14 और एक्स पी/ -15) के तहत अपीलकर्ताओं की कुल्हाड़ी और कपड़े जब्त किए थे। अभियोजन पक्ष ने इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर उससे जिरह की, जिसके बाद उसने यह बात स्वीकार की कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा, तो दीवार पर खून के धब्बे थे, जिन्हें गोबर के पानी से पोंछा गया था।उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि पूछे जाने पर अपीलकर्ता लक्ष्मी ने कहा कि उन्हें घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है और उन्होंने बताया कि सुबह उन्होंने गोबर के पानी से खून के धब्बे को पोंछ दिया था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि घटना के समय अपीलकर्ता लक्ष्मी बाई घर में अकेली थीं और इसलिए सभी ग्रामीणों को संदेह था कि किसी प्रतिद्वंद्विता के कारण अपीलकर्ता लक्ष्मी बाई ने ही घटना को अंजाम दिया था। उन्होंने अभियोजन पक्ष के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि अपीलकर्ताओं ने उनके समक्ष पुलिस को अपने ज्ञापन बयान (एक्स पी/ 12 और एक्स पी/ -13) दिए थे।उन्होंने इस सुझाव से इनकार किया कि अपीलकर्ताओं के कहने पर पुलिस ने उनके समक्ष जब्ती ज्ञापन (एक्स पी/ -14) के माध्यम से कुल्हाड़ी जब्त की थी, लेकिन उन्होंने स्वयं कहा कि पुलिस और कोटवार गांव कुल्हाड़ी लेने गए थे।फिर से प्रतिपरीक्षा के कंडिका 27 में, इस साक्षी ने कहा है कि 20.07.2018 को अपीलकर्ता संदीप राथिया ने गांव चोधा में सार्वजनिक मंच के पास उनके सामने ज्ञापन बयान (एक्स पी/ -12) नहीं दिया था, और उन्होंने कहा कि जब उन्होंने ज्ञापन बयान पर हस्ताक्षर किए थे, उस समय अपीलकर्ता वहां मौजूद नहीं थे।

25. दमरुधर राथिया (पीडब्लू-4) ने ज्ञापन बयान (एक्स पी/ 12 और एक्स पी-13) पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं, लेकिन उन्होंने अपने सामने अपीलकर्ताओं के किसी भी ज्ञापन बयान को दर्ज किए जाने से

इनकार किया है और जब्ती ज्ञापन एक्स पी-14 और एक्स पी-15 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं, लेकिन उन्होंने अपने सामने किसी भी जब्ती से इनकार किया है।अभियोजन पक्ष ने इस साक्षी को विरोधी घोषित कर उससे प्रतिपरीक्षा की, लेकिन उसने प्रतिपरीक्षा में अभियोजन पक्ष के सभी आरोपों का खंडन किया और कहा कि उसने पुलिस के कहने पर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे।

26. अपीलकर्ताओं के ज्ञापन बयानों से यह स्पष्ट है कि एफआईआर (एक्स पी/ -24) 17.07.2018 को दर्ज की गई थी और अपीलकर्ताओं के ज्ञापन बयान अभियोजन पक्ष द्वारा 20.07.2018 को एक्स पी/ -12 और एक्स पी/ -13 के माध्यम से दर्ज किए गए थे, जिसके बाद 20.07.2018 को बरामदगी और जब्ती की गई थी। अभियोजन पक्ष ने विचारण न्यायालय के समक्ष एफएसएल रिपोर्ट पेश नहीं की।इस न्यायालय ने एफएसएल रिपोर्ट मंगवाने का भी प्रयास किया, लेकिन अभियुक्तों के कपड़ों से संबंधित एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। दिनांक 27.02.2020 की जे.एम.एफ.सी., खर्सिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस न्यायालय ने पाया कि एफएसएल रिपोर्ट अपराध के कपड़ों, वस्तु और हथियार से संबंधित नहीं थी, बल्कि एफएसएल रिपोर्ट (एक्स पी/-39) मृतक जगनमती की योनि स्लाइड से संबंधित थी। इस रिपोर्ट के अनुसार, मृतक जगनमती की योनि स्लाइड में मानव शुक्राणु पाए गए थे।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

27. अभियोजन पक्ष के साक्षीयों के साक्ष्यों की गहन जांच से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है और अभियोजन पक्ष ने केवल यह तथ्य सिद्ध किया है कि अपीलकर्ता लक्ष्मी बाई उसी घर में रह रही थी।दोनों अपीलार्थियों के ज्ञापन बयानों के अनुसार, दोनों अपीलकर्ताओं के ज्ञापन बयानों के अनुसार, कपड़े और हथियार बरामद किए गए थे, लेकिन यह स्पष्ट है कि ज्ञापन और जब्ती के साक्षी पीडब्लू -2 राधेलाल राथिया और पीडब्लू -4 दमरुधर राथिया ने ज्ञापन और जब्ती का समर्थन नहीं किया है, इसलिए जब्ती अपनी वैधता खो देती है।उन्होंने केवल ज्ञापन और जब्ती पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं, लेकिन उनके समक्ष कोई ज्ञापन बयान दर्ज किए जाने से इनकार किया है। घटना का कोई अंतिम प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है।मृतक के पति, पीडब्लू- संख्या 1 बीर सिंह ने स्पष्ट रूप से बताया है कि जब वह सुबह लगभग 10-11 बजे घर पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि दरवाजा बाहर से बंद था। प्रेमलाल (पीडब्लू- संख्या 3) के अनुसार, रात लगभग 10 बजे वह भूरू के साथ मृतक जगनमती के घर गए और उन्होंने उसके साथ महुआ की शराब पी और आधे घंटे तक उसके साथ रहे। इस मामले में अंतिम बार देखे जाने का कोई सबूत नहीं है और अभियोजन पक्ष भी इस बात का सबूत नहीं दे पाया है कि अपीलकर्ताओं ने मृतक की हत्या क्यों की।इसके अलावा, यह अभिलेख में आया है कि मृतक के घर के ताले की दो चाबियाँ थीं।एक मृतक जगनमती के पति (पीडब्लू-1) के साथ हुआ करता था तथा दूसरा मृतक के साथ था।एक अन्य चाबी के संबंध में अभियोजन पक्ष की कहानी जो मृतक जगनमती के पास हुआ करती थी, चुप है।हालाँकि अपीलार्थी लक्ष्मी के ज्ञापन बयान में कुंजी का खुलासा किया गया है, परंतु जब हम जब्ती ज्ञापन (एक्स पी/ -14 तथा एक्स पी/ -15) को देखते हैं, तो हमने पाया कि अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसी कुंजी की कोई बरामदगी नहीं की गई थी।

28. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुजीत (उपरोक्त) मामले में कंडिका 6, 7, 8, 9 और 11 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया –––

"6. संदेह, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो, प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता, और जो बात सिद्ध हो सकती है और जो सिद्ध होगी, उनमें बहुत बड़ा अंतर है। किसी दाण्डिक विचारण में,, संदेह, चाहे वह कितना भी प्रबल क्यों न हो, प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता है और न ही लिया जाना चाहिए।इसका कारण यह है कि 'हो सकता है' और 'होना ही चाहिए' के बीच मानसिक दूरी बहुत अधिक होती है, और यही अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करती है।"किसी आपराधिक मामले में, न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि केवल अनुमान या संदेह ही कानूनी प्रमाण का स्थान न ले लें।'सत्य हो सकता है' तथा 'मध्य की बड़ी दूरी सत्य होनी चाहिए, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत स्पष्ट, ठोस तथा निर्विवाद साक्ष्य के माध्यम से कवर किया जाना चाहिए, इससे पहले कि एक आरोपी को दोषी के रूप में दोषी ठहराया जाए, तथा मूल तथा सुनहरे नियम को लागू किया जाना चाहिए।ऐसे मामलों में, यह ध्यान में रखते हुए कि दोनों मध्य की दूरी सच हो सकती है तथा सच होनी चाहिए, न्यायालय को केवल अनुमानों तथा निश्चित निष्कर्षों मध्य महत्वपूर्ण दूरी बनाए रखनी चाहिए, जो मामले की समस्त विशेषताओं की पूर्ण तथा व्यापक सराहना के साथ–साथ अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य की गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता के आधार पर निष्पक्ष न्यायिक जांच की कसौटी पर पहुंचे।न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि न्याय का उल्लंघन न हो, और यदि किसी मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ इसकी मांग करती हैं, तो आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए, यह ध्यान में रखते हुए कि उचित संदेह कोई काल्पनिक, तुच्छ या मात्र संभावित संदेह नहीं है, बल्कि एक निष्पक्ष संदेह है जो तर्क और सामान्य ज्ञान पर आधारित है। (देखें:हनुमंत गोविंद नरगुंडकर और अन्य बनाममध्य प्रदेश राज्य, एआईआर 1952 एससी 343; राज्य बनाम महेंद्र सिंह दहिया, एआईआर 2011 एससी1017; और रमेश हरिजन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर 2012 एससी 1979)।

7. काली राम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, एआईआर 1973 एससी 2773 में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :"आपराधिक मामलों में न्याय प्रशासन के ताने–बाने में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि यदि मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दो दृष्टिकोण संभव हों – एक आरोपी के अपराध की ओर और दूसरा उसकी निर्दोषता की ओर – तो आरोपी के पक्ष में अनुकूल दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। यह सिद्धांत उन मामलों में विशेष रूप से प्रासंगिक है जहां परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के अपराध को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है।"

8. शरद बिरधीचंद सरदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 1984 एससी 1622 में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:

इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए।अभियुक्त के अपराध को छोड़कर किसी अन्य परिकल्पना से इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए। साक्ष्यों की ऐसी पूर्ण श्रृंखला होनी चाहिए जिससे आरोपी की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष निकालने का कोई उचित आधार न बचे और यह सिद्ध हो कि मानवीय संभावना के अनुसार वह कृत्य आरोपी द्वारा ही किया गया होगा।

9. एम.जी. अग्रवाल बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 1963 एससी 200 में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि कि यदि किसी मामले में सिद्ध परिस्थितियाँ आरोपी की निर्दोषता या उसके अपराध के अनुरूप हों, तो आरोपी संदेह का लाभ पाने का हकदार है।जब यह अभिनिर्धारित किया है कि कोई तथ्य सिद्ध हो गया है, तो प्रश्न यह उठता है कि क्या ऐसा तथ्य आरोपी व्यक्ति के अपराध का अनुमान लगाने की ओर ले जाता है या नहीं, और इस पहलू पर विचार करते समय, आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए, और उसके विरुद्ध अपराध का अंतिम अनुमान तभी लगाया जाना चाहिए जब सिद्ध तथ्य आरोपी की निर्दोषता के साथ पूर्णतः असंगत हो और उसके अपराध के साथ पूर्णतः संगत हो।इसी प्रकार, शरद बिरधीचंद सरदा (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया

अपराध जितना गंभीर होगा, प्रमाण का मानक उतना ही उच्च होना चाहिए। किसी आरोपी का दोष संदेह के आधार पर प्रतीत हो सकता है, लेकिन यह कानूनी प्रमाण नहीं हो सकता है। जब साक्ष्य के आधार पर दो संभावनाएं हों, जिनमें से एक अभियोजन पक्ष के पक्ष में हो और दूसरी आरोपी के पक्ष में, तो आरोपी को संदेह का लाभ अवश्य मिलना चाहिए।यह सिद्धांत विशेष रूप से तब प्रासंगिक होता है जब आरोपी का दोष परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध किया जाना हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. XXXX

11. बाबू बनाम केरल राज्य, (2010) 9 एस. सी. सी. 189 में इस न्यायालय ने निर्दोषता के सिद्धांत पर विस्तार से विचार किया है तथा निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

27. प्रत्येक अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि अपराध साबित नहीं हो जाता।निर्दोषता का अनुमान एक मानव अधिकार है।हालांकि, वैधानिक अपवादों के अधीन, उक्त सिद्धांत आपराधिक न्यायशास्त्र का आधार बनाता है।इस उद्देश्य के लिए, अपराध की प्रकृति, इसकी गंभीरता तथा इसकी गंभीरता हेतु ध्यान में रखा जाना चाहिए।न्यायालय को यह देखने के लिए सतर्क रहना चाहिए कि केवल अनुमान के लागू होने पर, यह किसी भी अन्याय या गलत दोषसिद्धि का कारण नहीं बन सकता है।परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881; भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988; तथा आतंकवादी तथा विघटनहेतुरी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987 जैसे क़ानूनों में अपराध के अनुमान हेतु प्रावधान है यदि उन हेतुनूनों में प्रदान की गई परिस्थितियाँ पूरी होती पाई जाती हैं तथा निर्दोषता के प्रमाण हेतु भार अभियुक्त पर डाल दिया जाता है।हालाँकि, इस तरह की धारणा केवल तभी उठाई जा सकती है जब अभियोजन पक्ष द्वारा कुछ मूलभूत तथ्य स्थापित किए जाते हैं।नकारात्मक तथ्य साबित करने में कठिनाई हो सकती है।

28. हालांकि, ऐसे मामलों में जहां विधिक रुप से आरोपी पर सबूत हेतु भार नहीं डालता है, यह हमेशा अभियोजन पक्ष पर निर्भर करता है।यह केवल असाधारण परिस्थितियों में है, जैसे कि ऊपर उल्लिखित कानूनों में,

कि सबूत का भार अभियुक्त पर है।किसी विशेष कानून के तहत अभियुक्त के अपराध के अनुमान हेतु भी वैधानिक प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 21 में निहित तर्कसंगतता तथा स्वतंत्रता के परीक्षणों को पूरा करना चाहिए।"

29. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजा नायकर (उपरोक्त) मामले में कंडिका 18 में निम्नलिखित कहा: –

"18. विचारण न्यायाधीश द्वारा भरोसा किया गया एक अन्य पहलू अपीलकर्ता के ज्ञापन पर खून से सने कपड़ों की बरामदगी से संबंधित है।उक्त कपड़े अपीलकर्ता की भाभी के घर से बरामद किए गए थे। कथित घटना 21 अक्टूबर, 2009 की है, जबकि बरामदगी 25 अक्टूबर, 2009 को की गई थी।"यह विश्वास करना मुश्किल है कि अपराध करने वाला व्यक्ति अपनी साली हेतु घर में चार दिनों तक कपड़े रखेगा।"

30. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बनबिहारी (उपरोक्त) मामले में कंडिका 36, 38 और 39 में निम्नलिखित कहा:–––

"36. शांति देवी बनाम राजस्थान राज्य मामले में, जिसका उल्लेख (2012) 12 एससीसी 158 में किया गया है, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराने के सिद्धांत इस प्रकार हैं:

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

"10.1 जिन परिस्थितियों से दोष सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है, वे ठोस या दृढ़ रूप से स्थापित होनी चाहिए।

10.2 परिस्थितियां निश्चित रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करने वाली होनी चाहिए।

10.3 संचयी रूप से ली गई परिस्थितियों को एक ऐसी श्रृंखला बनानी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि इस निष्कर्ष से कोई बच न सके कि समस्त मानवीय संभावनाओं के भीतर, अपराध आरोपी द्वारा किया गया था तथा कोई तथा नहीं।10.4 दोषसिद्धि को बरकरार रखने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण होना चाहिए और आरोपी के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में असमर्थ होना चाहिए और ऐसा साक्ष्य न केवल आरोपी के अपराध के साथ संगत होना चाहिए बल्कि उसकी निर्दोषता के साथ असंगत होना चाहिए।"

37. XXXX

38. इस न्यायालय के अनेक न्यायिक निर्णयों से यह सर्वविदित है कि संदेह, चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता है।

किसी भी अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसका दोष उचित संदेह से परे सिद्ध न हो जाए।

इस सिद्धांत को सुजीत बिस्वास बनाम असम राज्य (AIR 2013 SC 3817) मामले में दोहराया गया है।

39. काली राम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (AIR 1973 SC 2773) मामले में इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

"आपराधिक मामलों में न्याय प्रशासन का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि यदि मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दो मत संभव हों – एक अभियुक्त के अपराध की ओर और दूसरा उसकी निर्दोषता की ओर – तो अभियुक्त के पक्ष में जो मत हो, उसे अपनाया जाना चाहिए।
यह सिद्धांत उन मामलों में विशेष रूप से प्रासंगिक है जहां परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त के अपराध को सिद्ध करना होता है।""

31. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त न्यायिक निर्णय के आलोक में, वर्तमान मामले में भी अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलार्थियों के विरुद्ध कोई उद्देश्य साबित नहीं किया गया है।वर्तमान मामले में कोई अंतिम बयान उपलब्ध नहीं है।घटनास्थल के नक्शे से स्पष्ट है कि उसी घर में अन्य लोग भी रहते थे और कई ग्रामीण मृतक जगनमती के घर शराब पीने आते थे। अतः, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत अपीलकर्ता लक्ष्मीन बाई के विरुद्ध अनुमान नहीं लगाया जा सकता। पुलिस ने 20.07.2018 को, यानी घटना के तीन दिन बाद, अपीलकर्ताओं के ज्ञापन बयान दर्ज किए, और राजा नायकर (उपरोक्त) के अनुसार, यह मानना कठिन है कि अपराध करने वाला व्यक्ति कपड़ों को चार दिनों तक अपने घर में रखेगा।अभियोजन पक्ष खून से सने कपड़ों के संबंध में एफएसएल (कानूनी रूप से मान्य साक्ष्य) साबित करने में भी विफल रहा है।अतः, दोनों अपीलकर्ताओं के विरुद्ध अपराध में उनकी संलिप्तता को संदेह से परे साबित करने के लिए कोई भी निर्णायक और कानूनी रूप से मान्य साक्ष्य रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

32. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजा नायकर (उपरोक्त) के पैरा 19 में कहा कि केवल रक्त से सने हथियार की बरामदगी के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे मामले को साबित करने का अपना भार पूरा कर लिया है।इसके अलावा, बीर सिंह (गवाह-1) ने अपीलकर्ता लक्ष्मी पर संदेह जताया था कि मृतक की मृत्यु उसी ने की होगी क्योंकि उनके बीच अक्सर झगड़ा होता था, लेकिन जिरह में इस गवाह ने उनके बीच किसी भी तरह के झगड़े की बात से इनकार किया। कानून में यह सर्वविदित है कि संदेह, चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, साक्ष्य को नकार नहीं सकता है। केवल संदेह के आधार पर दोषसिद्धि मान्य नहीं होगी, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजा नायकर **(उपरोक्त) के कंडिका 20 में कहा है कि '...अभियोजन पक्ष का यह कर्तव्य है कि वह सभी उचित संदेहों से परे यह साबित करे कि अपराध केवल आरोपी ने ही किया है।''**

33. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व-उद्धृत न्यायिक घोषणा तथा साक्ष्य की चर्चा के आलोक में, हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष दोनों अपीलार्थियों के विरुद्ध समस्त उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है तथा संदेह का लाभ, निश्चित रूप से, अपीलार्थियों के पास जाना है।34. परिणामस्वरूप, उपरोक्त अपीलों को स्वीकृति दी जाती है।दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय तथा दंड के आदेश

को अपास्त दिया जाता है तथा अपीलार्थियों को संदेह का लाभ देकर उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया जाता है।

35. अपीलार्थी लक्ष्मी @लक्ष्मी बाई सी. आर. ए. नं. 1257/2019 में जेल में है।यदि किसी अन्य मामले में इसकी आवश्यकता नहीं है तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाए।अपीलार्थी संदीप राथिया सी. आर. ए. नं. 1324/2019 में जमानत पर है।

36. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437-ए (बी.एन.एस.एस. की धारा 481) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, दोनों अपीलकर्ताओं को दंड प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रपत्र संख्या 45 के अनुसार 25,000/- रुपये की राशि का व्यक्तिगत बांड और इतनी ही राशि का एक ज़मानतदार संबंधित न्यायालय के समक्ष तुरंत प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है, जो छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी होगा। साथ ही, उन्हें यह वचन देना होगा कि इस निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर करने या अनुमति प्राप्त करने की स्थिति में, उपर्युक्त अपीलकर्ता इसकी सूचना प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

37. विचारण न्यायालय के अभिलेखों को इस निर्णय की प्रति सहित अनुपालन और आवश्यक कार्यवाही के लिए तुरंत संबंधित विचारण न्यायालय को वापस भेज दिया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
(रजनी दुबे)
न्यायाधीश

सही/-
(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur